

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करेड़ा, जिला- भीलवाड़ा
प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021

:: आदेश ::

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी व **मोय का खेड़ा**

नू अभिलेख निरीक्षक **चिराम्बा** की रिपोर्ट तथा तहसीलदार/नायब तहसीलदार

तहसीलदार करेड़ा की अनुशांका के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम **कुंवार** पटवार हल्क **मोय का खेड़ा** तहसील करेड़ा व जिला भीलवाड़ा की जमाबंदी सम्वत् **2074-2077** में खाता संख्या **48** में वर्तमान दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1	2	3	4	5
15	कुंवार	48	नोसर देवी पत्नी दुगलाल	शम्भू देवी उर्फ नोसर देवी पत्नी दुगलाल

प्रमारी अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
करेड़ा जिला भीलवाड़ा
दिनांक:- 30/11/21

क्रमांक/न्यायालय /2021/015

प्रतिलिपि:-

1- तहसीलदार करेड़ा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट मिजवायें।

2- प्रार्थी श्री शम्भू देवी उर्फ नोसर पत्नी दुगलाल नि. कुंवार

प्रमारी अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
करेड़ा जिला भीलवाड़ा

PP15/2021
2021/948

